न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी- रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
46 / 2015 प्रा.पत्र / 2015	30.04.2015	19.09.2025

डॉ. मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक राज0।

..........प्रार्थी

बनाम

1-श्री महावीर प्रसाद जैन पुत्र श्री बच्छराज जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स महावीर प्रसाद विनोद कुमार बस स्टैण्ड के पास ढिकोलिया तह. उनियारा जिला टोंक राज. निवासी बस स्टैण्ड के पास ढिकोलिया तह. उनियारा जिला टोंक राज.।

2-मैसर्स महावीर प्रसाद विनोद कुमार बस स्टैण्ड के पास ढिकोलिया तह. उनियारा जिला टोंक राज.।

3-श्री हरिनारायण शर्मा पुत्र श्री श्रीनारायण शर्मा एफ.बी.ओ. मैसर्स सपना ट्रेडिंग कम्पनी नगरपालिका के पीछे उनियारा जिला टोंक राज. निवासी वार्ड नं. 12 नगरपालिका के पीछे उनियारा जिला टोंक राज.।

4-मैसर्स सपना ट्रेडिंग कम्पनी नगरपालिका के पीछे उनियारा जिला टोंक राज.।

5-श्री गोपी चन्द यादव सोल प्रोपरायटर मैसर्स अमित एन्टर प्राईजेज शॉप नं. 12 पुरानी चुंगी मालपुरा बस स्टैण्ड के बाहर सांगानेर जिला जयपुर निवासी 36 खातोडिया की ढाणी वक्शा वाला ग्रामीण तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज.।

6-मैसर्स अमित एन्टर प्राईजेज शॉप नं. 12 पुरानी चुंगी मालपुरा बस स्टैण्ड के बाहर सांगानेर जिला जयपुर।

7-श्री विपिन भार्गव सोल प्रोपरायटर मैसर्स श्री बालाजी फूड प्रोडक्ट विद्युत नगर दौराई अजमेर राज. निवासी 242/9, डी एच बिल्डिंग हाथी भाट अजमेर राज.।

8-मैसर्स श्री बालाजी फूड प्रोडक्ट विद्युत नगर दौराई अजमेर।

.........अप्रार्थीगण

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)

उपस्थित-

1-पैरोकार सरकार।
2-अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 श्री राजेश कुमार सैनी उप0।
अप्रार्थी सं. 3 ता 6 अनुपस्थित।

:-निर्णय-: दिनांक 19.9.25

संक्षेप मे प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.09.2014 को समय 01.45 पीएम पर मैसर्स महावीर प्रसाद विनोद कुमार बस स्टैण्ड के पास ढिकोलिया तह. उनियारा जिला टोंक पर पहुंचा। वहाँ पर खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से श्री महावीर प्रसाद जैन पुत्र श्री बच्छराज जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स महावीर प्रसाद विनोद कुमार बस स्टैण्ड के पास ढिकोलिया तह. उनियारा जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का व्यापार करते हुए उपस्थित मिला. श्री महावीर प्रसाद जैन पुत्र श्री बच्छराज जैन

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री महावीर प्रसाद जैन पुत्र श्री बच्छराज जैन ने स्वय को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. / मालिक होना बताया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय करने हेतु दुकान मे अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **क्लास इडिबल वेजिटेबल फैट डेयरी श्री प्रीमियम क्वालिटी टिन पैक (Class Edible vegetable Fat Dairy Shree premium quality Tin pack)** 15-15 किलोग्राम के 2 टिन सील बन्द रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एव मिलावट की शंका होने पर श्री महावीर प्रसाद जैन पुत्र श्री बच्छराज जैन को फार्म नं. 5 ए मे वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियो में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री महावीर प्रसाद जैन पुत्र श्री बच्छराज जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वय हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तसदीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर यह **क्लास इडिबल वेजिटेबल फैट डेयरी श्री प्रीमियम क्वालिटी टिन पैक (Class Edible vegetable Fat Dairy Shree premium quality Tin pack)** वास्ते नमूना जाच कय किया जा रहा है, 1600 ग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **क्लास इडिबल वेजिटेबल फैट डेयरी श्री प्रीमियम क्वालिटी टिन पैक (Class Edible vegetable Fat Dairy Shree premium quality Tin pack)** 1600 ग्राम को चार साफ व सूखे कांच के जारों में बराबर-बराबर प्रत्येक जार में 400-400 ग्राम भरकर नियमानुसार चार भाग तैयार कर अच्छी तरह एयरटाईट बन्द कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई-771 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग 2 खाकी कागज मे लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न आई-771 नीचे से ऊपर तक गोलाई मे गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बाध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागो को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारो नमूना भागों को अपने जाप्ते मे लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री महावीर प्रसाद जैन पुत्र श्री बच्छराज जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स सपना ट्रेडिंग कम्पनी नगरपालिका के पीछे उनियारा जिला टोंक राज. का बिल प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया। मैसर्स सपना ट्रेडिंग कम्पनी ने बतौर वारन्टी मैसर्स अमित एन्टर प्राईजेज शॉप नं. 12 पुरानी चुंगी मालपुरा बस स्टैण्ड के बाहर सांगानेर जिला जयपुर का एवं मैसर्स अमित एन्टर प्राईजेज ने बतौर वारन्टी मैसर्स श्री बालाजी फूड प्रोडक्ट विद्युत नगर दौराई अजमेर का बिल प्रेषित कर उक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./14/15 दिनांक 03.11.2014 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एल.एस./408/एक्ट/2014/417 दिनांक 18.09.2014 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया **क्लास इडिबल वेजिटेबल फैट डेयरी श्री प्रीमियम क्वालिटी टिन पैक (Class Edible vegetable Fat Dairy Shree premium quality Tin pack)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 3 ता 6 दिनांक 30.05.2019 को न्यायालय में उपस्थित हुए एवं इसके बाद लगातार अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थी सं. 3 ता6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं. 7 व 8 की दिनांक 03.12.2023 को मृत्यु हो चुकी है एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री राजेश कुमार सैनी उपस्थित हुए एव बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **क्लास इडिबल वेजिटेबल फैट डेयरी श्री प्रीमियम क्वालिटी टिन पैक (Class Edible vegetable Fat Dairy Shree premium quality Tin pack)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **क्लास इडिबल वेजिटेबल फैट डेयरी श्री प्रीमियम क्वालिटी टिन पैक (Class Edible vegetable Fat Dairy Shree premium quality Tin pack)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नही करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.9.25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज